न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 69/2019

दायर दिनांक :- 10.12.2019

उनवान

1. रामबाई पुत्री जगदीश पत्नि दयाराम जाति कोली निवासी ग्राम सिंगपुरा तहसील दौसा

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रेवड
2. बाबू पुत्र रामला
3. गोविन्दी पत्नि जगदीश

} जाति कोली निवासी ग्राम सिंगपुरा तहसील दौसा

4. ग्यारसा पुत्र पांचू
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

उपस्थित : 1. श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मक्खन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,3।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 160 रकबा 0.22 है0, ख0 न0 161 रकबा 0.48 है0, ख0न0 163 रकबा 0.75 है0, खसरा न0 523 रकबा 0.55 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 स्थित है। प्रार्थिनी का उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा है। प्रार्थिनी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थिनी के हक व हिस्से की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 का किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। परन्तु वे बिना अधिकार अवैध रूप से कब्जा करने पेडों को काट्ने व झगडा फसाद करने को आमदा रहते है।तथा प्रार्थिनी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है तथा धमकी देते है। उक्त भूमि का विधिवत रूप से प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण के मध्य तकास्मा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1लगा0 2 को पाबन्द फरमावे कि वे स्वयं अथवा अपने परिवारजनों, ऐजेन्टें नौकरो सहयोगियों साथियों कारीगरों, मजदूरों ठेकेदारों आदि के द्वारा उक्त वर्णित भूमि खसरा न0 160 रकबा 0.22 है0, ख0 न0 161 रकबा 0.48 है0, ख0न0 163 रकबा 0.75 है0, खसरा न0 523 रकबा 0.55 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा में प्रार्थिनी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करने से व प्रार्थिनी को जबरन बेदखल करने से अथवा हर प्रकार से अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.03.2020 को अप्रार्थी संख्या 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता मक्खन शर्मा ने पावर पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1,2,3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा गया। दिनांक 03.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया व कोस्ट पर अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का जवाब बन्द किया गया । तथा अप्रार्थी संख्या 4 की तलवी तलवाना सम्मन पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी पेश नहीं किया गया । अतः अप्रार्थी सं0 4 की हद तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 13.07.2022 को वकील उभयपक्ष उपस्थित तथा बहस सुनी गई।

1.**<u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः-</u>** इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 160 रकबा 0.22 है0, ख0 न0 161 रकबा 0.48 है0, ख0न0 163 रकबा 0.75 है0, खसरा न0 523 रकबा 0.55 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 स्थित है। प्रार्थिनी का उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा है। प्रार्थिनी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है।हमारा विनम्र अभिमत है कि रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में जाता है।

2 **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का पारित किया जाता है कि ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 160 रकबा 0.22 है0, ख0 न0 161 रकबा 0.48 है0, ख0न0 163 रकबा 0.75 है0, खसरा न0 523 रकबा 0.55 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 भूमि में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करे तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक **20.07.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा